(b) In order to speed-up the trial, the Designated Court has been given exclusive responsibility to try only the assassination case of Late Shri Rajiv Gandhi. Prosecution is taking all steps to ensure speedy and fair trial in the case.

स्वीकृति हेतु लंबित विधेयक

2164. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** :क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु लंबित है ;

(ख) इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी ; और

(ग) उक्त विधेयक स्वीकृति हेतु कब से लंबित हैं और इन बिलों का धारा-वार विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) बम्बई ईनाम (कच्छ क्षेत्र) समापन (गुजरात संशोधन) विधेयक, 1994 दिनांक 1.8.1994 को राष्ट्रपति के विचारण के लिए प्राप्त हुआ है । राज्य विधायनों से भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा जांच करने तथा जहां आवश्यक हो वहां राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किए जाने की मांग की है । विधेयकों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं तथा जहां आवश्यक होता है विचार-विमर्श भी किया जाता है ।

विधेयक का आशय बम्बई ईनाम (कच्छ क्षेत्र) समापन अधिनियम 1958 की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट ईनामदार के ऋणदाता या उप-ईनाम के धारक द्वारा दावा अधिसूचित करने की अवधि; उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्दिष्ट ईनामदार या धारक को देय मुआवजे की धनराशि के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र देने की अवधि और धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को देय मुआवजे के लिए आवेदन-पत्र देने की अवधि, दिसम्बर, 1994 के अन्त तक बढाए जा सकने की व्यवस्था करना है ।

ए मनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाये गये आरोप

2164. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1994 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "दिल्ली पुलिस की निगरानी में बंदियों की सर्वाधिक मौतें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार प्रकाशित समाचार में एमनेस्टी इटरनेशनल द्वारा लगाए गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस एवं आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय मेंराज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :(क) से (घ) सरकार को प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट की तथा उसमें सदर्भित एमनेस्टी इटरनेशनल की रिपोर्ट की जानकारी है । रिपोर्ट में लगाए गए कई आरोप तो पूर्णतया : सामान्य प्रकृति के हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं । तथापि, सरकार की स्पष्ट नीति यह है कि जब कभी पुलिस/सुरक्षा बलों के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ।

सरकार ने, समय-समय पर, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के दिशा-